न्यायालय मुन्सिफ

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0—11 सन् 2019

राजेश्वर प्रसाद सिन्हा.....वादी।

बनाम

रत्नेश कुमार उर्फ सोनु व अन्य.....प्रतिवादीगण।

दिनांक— 31.03.2023

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 23.12.2022 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी की ओर से आवेदन में कथन है कि उपरोक्त वाद में वादी की गवाही हो चुकी है एवं वादी की ओर से भूमि विवाद निराकरण वाद सं0 26/ 2017—18 राजेश्वर प्रसाद सिन्हा बनाम विश्वनाथ सिंह में तकरारी जमीन के पैमाईश उपसमाहर्ता भूमि सुधार, सोनपुर के आदेशानुसार श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह अधिवक्ता आयुक्त द्वारा की गई थी। जिसके प्रतिवेदन की सच्ची प्रमाणित प्रतिलिपि अभिलेख पर मौजूद है। उपरोक्त अधिवक्ता आयुक्त श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह की गवाही कराना न्यायहित में अति आवश्यक है परंतु उपरोक्त श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह अधिवक्ता बिना न्यायालय के सम्मन के न्यायालय में आकर गवाही देने को तैयार नहीं हैं। अतः निवेदन है कि उपरोक्त श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह अधिवक्ता,व्यवहार न्यायालय, छपरा सारण पर दस्ती सम्मन भेजने हेतु आदेश देने की कृपा की जाए ताकि न्याय हो सके।

प्रतिवादी की ओर से उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दिनांक 24.02.2023 को दाखिल कर कथन है कि वादी ने जिस तरीका वो बयान से दिनांक 23.12.2022 को भूमि सुधार उप समाहर्ता, सोनपुर के न्यायालय में चले वाद भूमि विवाद निराकरण वाद सं0 26/2017—18 राजेश्वर प्रसाद सिन्हा बनाम विश्वनाथ सिंह में नियुक्त अधिवक्ता आयुक्त सुरेन्द्र प्रसाद सिंह सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त को इस न्यायालय में अपनी ओर से साक्षी के रूप में प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित कराने के एि गस्ती सम्मन न्यायालय से जारी कराना चाहते हैं। सर्व प्रथम तो इस न्यायालय के द्वारा इस वाद के अंतर्गत कोई सर्वे कमिश्नर या सुरेन्द्र प्रसाद सिंह की नियुक्ति नहीं हुई है जिसके कारण न्यायालय सम्मन जारी करने के लिए बाध्य है। इसके

अतिरिक्त न्यायालय किसी भी पक्ष कोअपने पिलिडिंग के संबंध में साक्ष्य सबूत इक्ट्ठा करने हेतु कोई आदेश पारित नहीं कर सकता है जैसा कि वादी चाहते हैं। वस्तुत वादी द्वारा उक्त दाखिल आवेदन बिल्कुल ही साक्ष्य सबूत इकट्ठा करने के ख्याल से दिया गया है जो पोषणीय नहीं है। अतः निवेदन है कि वादी द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 23.12.2022 को साथ खर्चा के खारिज किया जाए।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में वादी अपने साक्ष्य हेतु सुरेन्द्र प्रसाद सिंह सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त की गवाही हेतु दस्ती सम्मन जारी करने हेतु आवेदन दाखिल किया है। वादी की ओर से आवेदन में कथन है कि वादी की ओर से भूमि विवाद निराकरण वाद सं0 26/ 2017–18 राजेश्वर प्रसाद सिन्हा बनाम विश्वनाथ सिंह में तकरारी जमीन के पैमाईश उपसमाहर्ता भूमि सुधार, सोनपुर के आदेशानुसार श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह अधिवक्ता आयुक्त द्वारा की गई थी,उनको साक्ष्य हेतु न्यायालय द्वारा दस्ती सम्मन जारी करने हेतु दाखिल किया है। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वादी उक्त आशय का आवेदन कई तिथि को न्यायालय में दाखिल किया था, जिसका जवाब प्रतिवादी ने दाखिल किया है तथा प्रतिवादी का कहना है कि न्यायालय किसी भी पक्ष को अपने वादपत्र के संबंध मे साक्ष्य/सबूत इकट्ठा करने हेतु आदेश पारित नहीं कर सकते है, जैसा कि वादी चाहते हैं। न्याय का सुस्थापित सिद्धांत है कि न्यायालय द्वारा किसी पक्षकार के पक्ष में सबूत इकट्ठा करने के लिए न्यायालय मदद नहीं करेगा, अपितु पक्षकार को अपना वादपत्र साबित करने के लिए स्वयं ही साक्ष्य लाना होगा। न्यायालय द्वारा इस वाद में कोई भी सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति नहीं की गई है। ऐसी परिस्थिति में वादी की ओर से दाखिल आवेदन न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः वादी की ओर से दाखिल आवेदन पोषणीय नहीं है।

वाद दिनांक .....को वादी की ओर से साक्ष्य हेतु।

मुन्सिफ

सोनपुर सारण।